PRESS MONITOR

Dainik Navajyoti, Kota
Monday, 26th April 2021; Page: 8
Width: 25.87 cms; Height: 15.22 cms; a4r; ID: 37.2021-04-26.26

भ्रष्टाचार रोकने में जनता का सहारा लीजिए

मुद्दा

अब सरकार ने योजना बनाई है कि जितनी गाड़ियां सड़क पर बिना ई-वे बिल के चलेंगी उनकी भी डीटेल सरकार को इन्टरनेट से उपलब्ध हो जाएगी और टोल प्लाजा इत्यादि पर इन्हें रोककर इनकी जांच की जा सकेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि तकनीक की एक सीमा है और यह तभी कारगर होगी जब मूल जीएसटी प्रशासन की नीयत ईमानदारी की हो अन्यथा भ्रष्ट अधिकारी और उद्यमी गठजोड़ सभी तकनीक के बावजूद किसी न किसी प्रकार अपना स्वार्थ हासिल कर ही लेगा। सरकार ने इस परिस्थिति को भांपते हुए किन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा मुक्त किया है। लेकिन यह काम ऊपरी प्रशासन की सजगता से हुआ है। जीएसटी के शीर्ष अधिकारियों को सूचना मिली कि अमुक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने उस पर एक्शन लिया और उस अधिकारी को सेवा मुक्त कर दिया।

जीएसटी लागू करते समय सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इससे टैक्स की चोरी कम हो जाएगी। इसके बाद ई-वे बिल लागू करते समय पुनः विश्वास दिलाया गया था कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की जांच हो सकेगी और नम्बर दो यानि बिना टैक्स चुकाए माल सड़क पर नहीं आ सकेगा। लेकिन आलम यह है कि टैक्स की चोरी बढ़ती ही जा रही है। हाल में मुझे एक ब्रैंडेड पंखा खरीदना था जो किसी बड़ी कम्पनी द्वारा बनाया गया था। वह भी मुझे आसानी से बिना जीएसटी अदा किए उपलब्ध हो गया। या तो यह बड़ी कम्पनी नम्बर दो में माल सप्लाई कर रही है। अथवा उसके बिल को घुमाया जा रहा है अथवा जिस कंपनी को या तो यह कम्पनी नम्बर दो में माल सप्लाई कर रही है अथवा उसके बिल को घुमाया जा रहा है। बिल उस कंपनी के नाम काटा जा रहा है जिसे जीएसटी का रिफंड मिल रहा हो और माल नंबर दो में बिना जीएसटी के बाजार में बेचा जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में एक ही ई-वे बिल पर कई बार माल की ढुलाई की जा रही है। जैसे दिल्ली से गाजियाबाद के बीच का ई-वे बिल 24 घंटे तक मान्य होता है जिसमें उसी ई-वे बिल पर तीन बार माल का आवागमन हो जाता है। जीएसटी कि चोरी को हवाई चप्पल का दाम 200 रुपया होता है लेकिन इसका बिल 50 रुपया बनाया जाता है। इस प्रकार तमाम उपाय हैं जिनसे जीएसटी व्यवस्था को चकमा दिया जा रहा है। नम्बर दो की समानांतर अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह चालू है जैसे जीएसटी के पहले चालू थी।

अब सरकार ने योजना बनाई है कि जितनी गाड़ियां सड़क पर बिना ई-वे बिल के चलेंगी उनकी भी डीटेल सरकार को इन्टरनेट से उपलब्ध हो जाएगी और टोल प्लाजा इत्यादि पर इन्हें रोककर इनकी जांच की जा सकेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि तकनीक की एक सीमा है और यह तभी कारगर होगी जब मूल जीएसटी प्रशासन की नीयत ईमानदारी की हो अन्यथा भ्रष्ट अधिकारी और उद्यमी गठजोड़ सभी तकनीक के बावजूद किसी न किसी प्रकार अपना स्वार्थ हासिल कर ही लेगा। सरकार ने इस परिस्थिति को भांपते हुए किन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा मुक्त किया है। लेकिन यह काम ऊपरी प्रशासन की सजगता से हुआ है। जीएसटी के शीर्ष अधिकारियों को सूचना मिली कि अमुक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने उस पर एक्शन लिया और उस अधिकारी को सेवा मुक्त कर दिया।

भरत झुनझुनवाला

इसमें संकट यह है कि यदि किसी ईमानदार अधिकारी की शिकायत भ्रष्ट अधिकारी के रूप में कर दी जाए तो ऊपर के अधिकारी अनायास ही ईमानदार अधिकारी को भी सेवा मुक्त कर सकते हैं। देखा गया है कि सरकारी दफ्तरों में यदि कोई ईमानदार अधिकारी होता है तो उसके सहकर्मी घूस नहीं ले पाते हैं और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ईमानदार अधिकारी फंसाने का प्रयास करते हैं अथवा उसकी रपट उच्च अधिकारी से कर देते हैं। फलस्वरूप ईमानदार अधिकारी स्वयं संकट में आ जाते हैं। सरकार में सफलतापूर्वक काम करने का उपाय यह है कि आप स्वयं अन्य भ्रष्ट अधिकारियों भ्रष्ट हो जाएं तभी आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है।

विचार करना है कि अमेरिका में भ्रष्टाचार की तुलना में कम क्यों है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर जॉन जोसफ वालिस के अनुसार मूल कारण यह है कि उनके संविधान निर्माताओं को प्रमुख चिंता यह थी कि सरकार जनता पर भारी न हो जाए। वे चाहते थे कि प्रत्येक नागरिक को प्रतिनिधित्व और समानता का अधिकार उपलब्ध हो। इसलिए सम्पूर्ण तंत्र में आम आदमी की भूमिका को प्रमुखता दी गई है। अमेरिकी प्रजातंत्र में विचार यह है कि सरकार पर जनता भारी हो न कि जनता पर सरकार। लेकिन जैसा ऊपर बताया गया है सरकार जीएसटी को ऊपर से ठीक करना चाहती है। हम ऊपर के अधिकारियों की जानकारी से प्रशासन को चलाना चाहते हैं न कि जनता की भागीदारी से। इंडियन इंस्टिटयूट आफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के प्रोफेसर एरोल डिसूजा का कहना है कि भ्रष्टाचार के नियन्त्रण में प्रेस और सिवल सोसायटी की अहम् भूमिका है। जैसे देखा जाता है की पुलिस की ज्यादती से जनता को रहत दिलाने के पीछे पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज जैसे संगठनों अथवा सरकारों की ज्यादती से जनता को राहत दिलाने के पीछे एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों की प्रमुख भूमिका है। यदि ये संगठन प्रभावी होते हैं तो नीचे से भ्रष्ट अधिकारियों पर दबाव बनता है। नीचे से सिविल सोसायटी और ऊपर से ईमानदार प्रशासन के सहयोग से बीच की नौकरशाही को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है जैसे चिमटे से गरम रोटी को पकड़ा जाता है।इस दिशा में सरकार नीचे से जनता को ताकत नहीं दे रही है। केवल ऊपर से अधिकारियों को ठीक करना चाहती है। जैसे पांचवें वेतन आयोग में संस्तुति दी गई थी कि क्लास-ए अधिकारियों की हर पांच वर्ष पर आडिट कराई जाए। इस संस्तुति को सरकार ने दरकिनार कर दिया है। बाहरी आडिट का अर्थ हुआ कि सरकार के भ्रष्ट ढांचे से बाहर के लोग किसी अधिकारी की कार्यकुशलता की जांच करें। इस प्रकार की जांच स्वतंत्र मूल्यांकन को बनाती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)